



भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) राजस्थान
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL
(A&E), RAJASTHAN

नोटिस संख्या: 01.....

इस कार्यालय के सहायक लेखाधिकारी जो की वेतन मट्रिक्स के स्तर 8 में कार्यरत हैं या ऐसे SAS उत्तीर्ण कर्मचारी जो वेतन मट्रिक्स के स्तर 7 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दो वर्ष सेवा की हो या वेतन मट्रिक्स के स्तर 6 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में 6 वर्ष की सेवा की हो एवं खंडीय लेखाधिकारी ग्रेड प्रथम पद पर प्रतिनियुक्ति पर जाने के इच्छुक हैं, उनसे प्रतिनियुक्ति के लिए पैनल बनाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ऐसे सहायक लेखाधिकारी/कर्मचारी जिन्हें एम.ए.सी.पी./ ए.सी.पी. योजना के तहत उच्चतर वेतन प्राप्त है, वे भी खंडीय लेखाधिकारी ग्रेड प्रथम के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन कर सकते हैं।

खंडीय लेखाधिकारी ग्रेड प्रथम के पद पर प्रतिनियुक्ति प्रारम्भिक तौर पर एक वर्ष के लिए होगी एवं इसके बाद प्रतिनियुक्ति की अवधि प्रशासनिक सुविधानुसार प्रतिवर्ष बढ़ाई जा सकती है। प्रतिनियुक्ति की अवधि मुख्यालय के पत्र क्रमांक 60-Staff(App)-1/14-2023 दिनांक 27-01-2025 के द्वारा जारी की गई नवीनतम नीति के दिशा-निर्देशों के अनुसार विनियमित की जाएगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रत्येक प्रतिनियुक्ति/ बाह्य सेवा के पश्चात तीन वर्ष की कूलिंग अवधि अनिवार्य होगी।

प्रतिनियुक्ति के दौरान अधिकारी केडर-बाह्य पद का वेतन या प्रतिनियुक्ति भत्ता भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नियमों के अनुसार लेने का विकल्प चुन सकते हैं।

आवेदन पत्र में सेवा संबंधी सभी प्रकार की जानकारी अनिवार्य रूप से भर कर दिनांक 10.04.2025 तक प्रशासन प्रथम अनुभाग में पहुंच जानी चाहिए। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जवेगा।

प्रशासन द्वारा आवेदक को राजस्थान के किसी भी निर्माण विभाग के खंड में पदस्थापित किया जा सकता है एवं प्रतिनियुक्ति के दौरान प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) द्वारा प्रशासनिक सुविधा अनुसार किसी भी अधिकारी को राजस्थान के किसी भी निर्माण विभाग के खंड में स्थानांतरित अथवा आवश्यकतानुसार इस कार्यालय में प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। अभ्यर्थी एक बार प्रतिनियुक्ति पर चयनित किए जाने पर, प्रतिनियुक्ति के लिए अपनी अभ्यर्थना वापिस नहीं ले सकता है और ऐसा किए जाने पर एक वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति से प्रतिबंधित कर दिया जवेगा।

इस संबंध में प्रधान महालेखाकार महोदय द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

व. उप महालेखाकार (प्रशासन)

क्रमांक: प्रशासन-1/ले. व ह./प्रति/डी.ए.ओ./के-37/2025 /TRA-01 to 03

दिनांक: 01/04/2025

प्रतिलिपि:-

1. सूचना पट्ट (2 प्रतियाँ)।
2. कार्यालय website।
3. टी.आई. प्रकोष्ठ ।

वरिष्ठ लेखाधिकारी/प्रशासन-1

जनपथ, जयपुर- 302005, दूरभाष: (0141) 2385431-39, फैक्स : (0141) 2385263
Janpath, Jaipur- 302005, Tel.: (0141) 2385431-39, Fax: (0141) 2385263
ई-मेल / E-Mail : agaerajasthan@cag.gov.in

OFFICE OF THE PR. ACCOUNTANT GENERAL (A&E) RAJASTHAN, JAIPUR

Application for deputation as DAO Gr-I in response to Notice No.- Dated- .03.2025

1. Name : -----
2. Qualification : -----
3. Date of birth : -----
4. Date of joining (Government Service) : -----
5. Date of promotion as Accountant : -----
6. Date of promotion as Sr. Accountant : -----
7. Date of promotion as Assistant Supervisor : -----
7. Year of passing SAS : -----
8. Date of promotion as AAO : -----
9. Present pay : -----
10. Any special experience/qualification : -----
11. Experience of Works section with period of posting : -----

12. Details Of previous deputation foreign service, if any : -----
 - a) Name of Deptt./Organization : -----
 - b) Post held and the scale of pay attached to it. : -----
 - c) Period as DAO/DA : -----
 - d) Date of repatriation from the last deputation. : -----
13. Details of family stating age of children : -----

14. An undertaking to the effect that he will not withdraw from the deputation, if selected. : -----

Above information has been checked from Service records and found correct.

AAO/Admn.II

Signature of the Applicant
Present Section-----
Date: -----
Mobile No.-----

Recommendation of Branch Officer

Certified that no case of major/minor penalty against Shri ----- is pending/contemplated in the section.

Sr. Accounts Officer/.....